न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 102/2019
पंजीयन दिनांक 14.08.2019

(1). बिहारीलाल पिता घासी जाति खटीक निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)। मृतक के बजाय–

1/1. कैलाश पिता बिहारीलाल जाति खटीक निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

1/2. प्रकाश पिता बिहारीलाल जाति खटीक निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

1/3. उमेश पिता बिहारीलाल जाति खटीक निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार राशमी, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोड़ेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 100/2010 निर्णय एवं आदेश डिक्री 09.05.2019

उपस्थित वक्त बहस–(1). भगवत सिंह गिलूण्डिया–अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 11.07.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट्गण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा राशमी तहसील राशमी की साबिक आराजी संख्या 557 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा जिसमे से 1 बीघा 18 बिस्वा वादी अपीलांट्गण के पिता को सन् 1965 में आवंटित की जाकर नामान्तरकरण संख्या 594 से दिनांक 18.04.1968 को वादी अपीलांट्गण के पिता के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड की गयी। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

वर्णित आवंटनशुदा साबिक कृषि आराजीयात की हाल खसरा संख्या 375/2459 एवं 398/2460 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा है। तहसील राशमी की नई जरीब छोटी हो जाने से वर्तमान रकबा साबिक रकबे की अपेक्षा सवाया हो गया जिससे पुराना रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा से 2 बीघा 11 बिस्वा हो गया। उक्त आवंटन दौराने भू-प्रबन्ध होने से नये राजस्व रेकॉर्ड में वादी अपीलांटगण का नाम इन्द्राज नहीं हो सका व राजस्व रेकॉर्ड में पुनः आराजीयात को बिलानाम दर्ज कर दिया। उक्त आवंटनशुदा आराजीयात पर वादी अपीलांटगण का आवंटन दिनांक से ही कब्जा चला आ रहा है जिससे वादी अपीलांटगण उक्त कृषि आराजीयात का खातेदार हो जाने से वादी अपीलांटगण यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि मौजा राशमी की आराजी संख्या 375/2459 व आराजी संख्या 398/2460 का वादी अपीलांटगण खातेदार काश्तकार है। राजस्व रेकॉर्ड में गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट धारा-91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही कर वादी अपीलांटगण को बेदखल करना चाहता है जबकि वादी अपीलांटगण का कब्जा नाजायज नहीं है जिससे वादी अपीलांटगण प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी पाने का अधिकारी है। अन्त में वादी अपीलांटगण को मौजा राशमी की आराजी संख्या 375/2459 व आराजी संख्या 398/2460 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2019 को निर्णय व डिक्री किया जाकर वादी अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होना मानते हुए वादी अपीलाटगण का वादपत्र निरस्त किया जाकर तदनुसार डिक्री जारी की गयी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण वादी ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में स्वयं के जिम्मे की दोनो तनकी संख्या 1 व 2 को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो से साबित कराया गया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को वादी अपीलांटगण द्वारा साबित कराया जाना स्वीकार किया गया परन्तु तनकी संख्या 2 को वादी अपीलांटगण द्वारा साबित कराया जाना स्वीकार नहीं करते हुए तनकी संख्या 3 व 4 के आधार पर निर्णय पारित किया जाकर अपीलांटगण वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में वादी अपीलांटगण व उसके अधिवक्ता को लम्बे समय से गैरहाजिर होना बताया गया है, ऐसी स्थिति में वादी अपीलांटगण का वादपत्र अदम पैरवी, अदम हाजरी मे खारिज किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया गया जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण काफी लम्बे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

समयान्तराल तक विचाराधीन रहने के बावजूद भी तहसीलदार से मौका व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश होने के बावजूद भी दिनांक 18.03.2019 के बाद मौका रिपोर्ट मंगवाने के बजाय दिनांक 09.05.2019 को बिना मौका रिपोर्ट के ही निर्णय पारित कर वादपत्र खारिज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांटगण वादी की उक्त वर्णित आवंटनशुदा आराजीयात से अपीलांटगण वादी का कब्जा हटाये जाने व आवंटन निरस्त कराये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई, ओर न ही इसके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई नोटिस अपीलांटगण वादी को दिया गया है, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित होना मानकर निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांटगण वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि वादी अपीलांटगण को उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पूर्व में आवंटित की गई। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को वादी अपीलांटगण को आवंटित किये जाने के पश्चात वादी अपीलांटगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने से व वादी अपीलांटगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने से वादी अपीलांट के जीवनकाल में ही जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक 13/77 दिनांक 09.08.1978 से उक्त आराजीयात का आंवटन निरस्त किया जाकर उक्त आराजीयात पुनः बिलानाम दर्ज हो गई। तत्पश्चात उक्त वर्णित कृषि आराजीयात जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के सक्षम आदेश से दिनांक 13.07.1984 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़िया को खेल मैदान हेतु आवंटित की गई। उक्त आराजीयात पर कभी अपीलांटगण वादी का कब्जा नहीं रहा है। तथा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर उसका कब्जा होना साबित होता हो। अतः अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 विधि सम्मत होने से अपीलांटगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादी निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.05.2016 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा राशमी तहसील राशमी की नवीन आराजी संख्या 375/2459 व आराजी संख्या 398/2460 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जो बिहारीलाल पिता घीसा खटीक के नाम आवंटन से दर्ज हुई थी। उक्त आवंटन शुदा आराजीयात को जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक 13/77 दिनांक 09.08.1978 के द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात का आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम दर्ज की गई। तत्पश्चात जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राज/12-3(11)84/263 दिनांक 13.07.1984 के द्वारा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़िया को

राजस्व अपील प्राधिकारी

क्रीडा स्थल हेतु आवंटित की गई। इस प्रकार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात सक्षम आदेश के द्वारा अपीलांटगण वादी को आवंटन के पश्चात बिलानाम दर्ज होकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़िया को कीडा स्थल हेतु आवंटित की जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़िया के खेल मैदान के रूप में दर्ज है। अतः वादी अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने व आवंटन सक्षम अधिकारी के द्वारा निरस्त किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील संक्षम न्यायालय में आवंटन बहाल कराने बाबत प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है जो न्यायोचित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपीलांटगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण 100/2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.05.2019 यथावत रखे जाते है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिकी की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)

राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक ९

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 102/2019 /डिक्री

① श्री बिहारीलाल पिता ग्यासी जाति खटीक नाम निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय —

1/1 कैलाश पिता बिहारीलाल जाति खटीक निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

1/2 प्रकाश पिता बिहारीलाल जाति खटीक निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

1/3 उमेश पिता बिहारीलाल जाति खटीक निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

-अपीलान्ट

① श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार (राशमी), तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री ...उपखण्ड अधिकारी, राशमी........... दि. 09-05-2019

प्रकरण सं.......100/2010..... अन्तर्गत धारा....88,188......................... रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक..11-7-2022.... को अपीलान्ट की ओर से

अधिवक्ता श्री भगवतसिंह जिलुडिया .... रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री शुरजमल स्वर्णकार (राजकीय अधिवक्ता) रेस्पोडेन्ट

की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलांटगण वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण सं. 100/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09-05-2019 यथावत रखे जाते है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि.........–...................रुपये हैं,

.........................–...................द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे..........–............................द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक..11-7-2022............ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 11-7-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	स्वयं	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	स्वयं
योग		योग	